पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

पहले:- एमएमएस बेदी, ज.

सी.आर.एल. 2009 का WP नंबर 1470

डी/डी 29.7.2010.

शमशेर सिंह - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

प्रतिवादी:- श्री वीके जिंदल, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं के लिए:- श्री एसएस मान, वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा।

निर्णय

एमएमएस बेदी, ज. - शमशेर सिंह, याचिकाकर्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए यह याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता किशोर न्याय (देखभाल) की धारा 15 और 16 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 64 के तहत तुरंत रिहा होने का हकदार है और बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2000, (संक्षेप में 'अधिनियम') किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 97 और 98 के साथ पढ़ें, (संक्षेप में 'नियम'), दावा करते हुए कि हिरासत याचिकाकर्ता का मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है क्योंकि वह उपरोक्त अधिनियम के तहत हिरासत की अधिकतम अवधि से गुजर चुका है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता पर पुलिस स्टेशन सदर पानीपत में दर्ज एफआईआर संख्या 360 दिनांक 15 जुलाई 1992 में धारा 302 , 307 , 34 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया गया था और दोषी ठहराया गया था और रुपये 5000/- के जुर्माने के साथ

आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। धारा 302/34 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद और रुपये 1000/- का जुर्माना। धारा 307/34 आईपीसी के तहत 21 जनवरी, 1995 के फैसले के तहत दोनों मूल सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था। दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता वर्तमान में जिला जेल, करनाल में बंद है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सजा से पहले और सजा के बाद याचिकाकर्ता द्वारा हिरासत में बिताई गई कुल अवधि, जिसमें जेल अधिकारियों और सरकार द्वारा पैरोल की अवधि को घटाकर 14 साल 2 महीने और 26 दिन की गई है। याचिकाकर्ता अब 10 साल से अधिक की वास्तविक सजा काट चुका है। याचिकाकर्ता का दावा है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार उसका जन्म 13 जुलाई 1976 को हुआ था। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर 15 जुलाई 1992 को विजेंदर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की थी, 15 जुलाई 992 को वह 16 साल 2 दिन का था क्योंकि उसकी जन्मतिथि 13 जुलाई 1976 थी। याचिकाकर्ता को 21 जनवरी 1995 को दोषी ठहराया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत ने एफआईआर संख्या 360 दिनांक 15 जुलाई, 1992 में दोषी ठहराए जाने और सजा की तारीख पर याचिकाकर्ता की उम्र 18 वर्ष पाई। मुकदमा स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड के आयु प्रमाण पत्र के आधार पर आयोजित किया गया था। अनुलग्नक पी-2 यह दर्शाता है कि अपराध के समय याचिकाकर्ता की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि अपराध के समय यानी 15 जुलाई 1992 को उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, इस तरह वह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के लाभ का हकदार हो गया है। ***हरि राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2009(3)*** राज ***414: 2009 (2)*** आरसीआर ***(आपराधिक) 878 में*** शीर्ष न्यायालय के फैसले पर एक मजबूत निर्भरता रखी

गई है जिसमें यह देखा गया है कि सभी आरोपी किशोर अधिनियम, 1986 के तहत दोषी ठहराए गए या अभी भी मुकदमे का सामना कर रहे 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के लोगों को अधिनियम के तहत किशोर माना जाएगा और 2007 में उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के नियम 12 के आधार पर पूर्वव्यापी प्रभाव होगा जिसे अधिनियम की धारा 64 और 15 के साथ पढ़ें ।

3. वर्तमान मामले में जिस संक्षिप्त प्रश्न को निर्धारित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता, जो अपराध के समय 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का था, को उसके किशोर होने का लाभ दिया जा सकता है, जो अधिनियम की धारा 15 के अनुसार उसकी रिहाई का उद्देश्य यह बताता है कि बच्चे की हिरासत की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। नियमों के नियम 98 में प्रावधान है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों के निपटारे में, राज्य सरकार किसी व्यक्ति या किशोर के मामले की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है; अधिनियम और नियम 12 में निहित प्रावधानों के अनुसार उसकी किशोरता का निर्धारण करें और कानून के उल्लंघन में किशोर की तत्काल रिहाई के लिए अधिनियम की धारा 64 के तहत किशोर के हित में एक उचित आदेश पारित करें, जिसकी हिरासत या कारावास की अवधि समाप्त हो गई है। अधिनियम की धारा 15 में अधिकतम अवधि प्रदान की गई है। उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया रुख यह है कि याचिकाकर्ता अधिनियम के लाभ का हकदार नहीं है क्योंकि दोषी अदालत के फैसले के अनुसार उसकी उम्र 16 वर्ष है और 13 अगस्त, 2008 की राज्य नीति के अनुसार, उसने कोई लाभ नहीं लिया है। सीआरपीसी की धारा 433ए के तहत अपेक्षित आजीवन कारावास की सजा यानी 14 साल की वास्तविक सजा और 20 साल की कुल सजा।

हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे में कहा गया है कि आपराधिक मामलों के समापन के बाद हरियाणा राज्य की विभिन्न जेलों में बंद उम्रकैदियों का निपटारा गृह द्वारा किया जा रहा है और उनकी समयपूर्व रिहाई के लिए जेल और न्यायिक विभाग। 13 अगस्त 2008 की अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के आजीवन दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर राज्य कानूनी समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: -

i)	जेल मंत्री	अध्यक्ष
ii)	वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सदस्य सचिव, सरकार,	हरियाणा, जेल विभाग
iii)	कानूनी स्मरणकर्ता	सदस्य
iv)	जेल महानिदेशक,	हरियाणा सदस्य सचिव

4. हलफनामे में यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता के मामले पर गृह एवं जेल एवं न्यायिक विभाग, हरियाणा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक है और याचिकाकर्ता के मामले पर तदनुसार विचार करने के लिए उक्त विभाग को एक अनुरोध भेजा गया है। यूओ नंबर 969-एसडब्ल्यू (4)2009 दिनांक 17 दिसंबर 2009 (अनुलग्नक आर-2) के तहत अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार। याचिकाकर्ता का मामला वित्तीय आयुक्त के विशेष सचिव और हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, महिला

एवं बाल विकास विभाग द्वारा वित्तीय आयुक्त और वित्तीय सचिव, हरियाणा सरकार, गृह, जेल और न्यायिक विभाग, चंडीगढ़ को भेज दिया गया है। 17 दिसंबर 2009 को नियमों के नियम 94 के साथ पठित अधिनियम की धारा 15, 16 और 64 के प्रावधानों के संदर्भ में विचार किया जाना है। उत्तर के साथ संलग्न 18 फरवरी 2010 की बैठक के कार्यवृत्त को देखने से पता चलता है कि समिति ने निम्नलिखित अधिकारियों का गठन किया था:

1. श्री कृष्ण मोहन, आईएएस, एफसी और पीएस होम और जे एंड जे
2. श्रीमती शकुन्तला जकहू, आइएएस, एफ.सी.डब्लू.सी.डी
3. श्रीमती अनुराधा गुप्ता, आईएएस, ए.पी.एस.सी.एम.
4. श्री पी.अल. आहूजा, अल.आर.
5. श्री सुधीर मोहन, आईपीएस, आई.जी. प्रिज़न.
6. श्री एम.पी. बंसल, आईएएस, डी.डब्लू.सी.डी.
7. श्री अशोक कुमार शर्मा, डी.ए. होम.
8. श्री आर.के. सिंघल, डी.ए. (सी.एस. ऑफिस)
9. श्री दिनेश कुमार, एडीए (होम)
10. श्री जसविनडेर सिंह गिल, एडीए
11. श्रीमती ममता गर्ग, जे.डी.डब्लू.सी.डी. डेपट्ट
12. श्री कुलविनडेर पाल सिंह, एडीए, डब्लू.सी.डी डेपट्ट

इस निष्कर्ष पे पहुँच गया:

"बैठक में श्री शमशेर सिंह और श्री बलवंत सिंह की याचिकाओं पर विस्तार से विचार किया गया। विस्तृत चर्चा के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता श्री शमशेर सिंह का मामला जेल विभाग द्वारा संबंधित जेजे बोर्ड को भेजा जाएगा। ***श्री हरि राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2009(2) हालिया आपराधिक रिपोर्ट (सीआरएल) 878,*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के साथ और 2006 में संशोधित किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार। जेल विभाग द्वारा श्री बलवंत सिंह का मामला को जेजे बोर्ड, भिवानी भेजा जाए बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।"

5. मैंने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के किशोर माने जाने के अधिकार और हरि राम के मामले (सुप्रा) के फैसले के आलोक में जेल से उसकी रिहाई के उद्देश्य से उसके अधिकारों पर विचार किया है। नियमों के नियम 94 के तहत उसके मामले पर विचार करने पर अधिनियम की धारा 15 की प्रयोज्यता ।

6. माना जाता है कि 15 जुलाई 1992 को जब यह घटना घटी थी, उस समय याचिकाकर्ता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। सजा के दिन वह निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 4 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक का था, जो कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित कानून में एक समेकित संशोधन था, यह अधिनियम सभी मामलों में लागू होता है। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों की हिरासत, अभियोजन और कारावास की सजा।

अधिनियम की धारा 1(4) इस प्रकार है:-

"धारा 1(4): फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे सभी मामलों पर लागू होंगे जिनमें कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों की हिरासत, अभियोजन, जुर्माना या कारावास की सजा शामिल है।"

7. याचिकाकर्ता धारा 2 (के) (1) के तहत किशोर की परिभाषा के अंतर्गत आता है जो इस प्रकार है:-

धारा 2(के): 'किशोर' या 'बच्चे' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है; (आई) "कानून के उल्लंघन में किशोर" का अर्थ है एक किशोर जिस पर अपराध करने का आरोप है और उसने ऐसे अपराध के घटित होने की तारीख को आयु का अठारहवां वर्ष पूरा नहीं हुआ है;"

8. अधिनियम में शामिल धारा 7ए उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसका किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा उठाए जाने पर पालन किया जाना आवश्यक है। धारा 7ए (1) में प्रावधान है कि किशोर होने के दावे को किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, भले ही मामले का अंतिम निपटान और दावे का निर्धारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, भले ही किशोर की मृत्यु हो गई हो। इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख पर या उससे पहले हो।

अधिनियम की धारा 7ए इस प्रकार है:-

"धारा 7.ए: जब भी किसी अदालत के समक्ष किशोर होने का दावा किया जाता है या अदालत की राय है कि अपराध करने की तारीख पर आरोपी व्यक्ति किशोर था, तो अदालत जांच

करेगी, ऐसे साक्ष्य लेगी ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए यह आवश्यक हो सकता है (लेकिन शपथ पत्र नहीं), और यह निष्कर्ष रिकॉर्ड किया जाएगा कि वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं, उसकी उम्र यथासंभव बताते हुए:

बशर्ते कि किशोरता का दावा किसी भी अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है और इसे **मामले के अंतिम निपटान के बाद भी किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, और ऐसा दावा इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले ही समाप्त हो गया हो।**

2. यदि अदालत किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तिथि पर किशोर पाती है, तो वह किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड को भेज देगी, और यदि कोई सजा हो, तो अदालत द्वारा पारित की जाएगी। कोई प्रभाव नहीं माना गया। "

9. धारा 15 विभिन्न आदेशों से संबंधित है जो एक किशोर के संबंध में पारित किए जा सकते हैं। अधिनियम की धारा 15 (1) (एफ) इस प्रकार है:-

"धारा 15 (1)(एफ) किशोर को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्देश देती है और तीन साल से अधिक की किसी भी अवधि के लिए किशोर के अच्छे व्यवहार और कल्याण के लिए किसी भी उपयुक्त संस्था की देखभाल में रखती है।"

10. धारा 20 लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान करती है, जो इस प्रकार है:-

"धारा 20: लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान। - इस अधिनियम में किसी भी बात के बावजूद, किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाही उस तारीख को होगी जिस दिन यह अधिनियम उस क्षेत्र में लागू होता है। उस अदालत में इस तरह जारी रखा गया जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था और यदि अदालत को पता चलता है कि किशोर ने अपराध किया है, तो वह इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करेगी और किशोर के संबंध में कोई सजा पारित करने के बजाय, किशोर को बोर्ड को भेज देगी जो कि उस किशोर के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करें जैसे कि इस अधिनियम के तहत जांच पर वह संतुष्ट हो गया हो कि एक किशोर ने अपराध किया है।

बशर्ते कि बोर्ड, आदेश में उल्लिखित किसी पर्याप्त और विशेष कारण के लिए, मामले की समीक्षा कर सकता है और ऐसे किशोर के हित में उचित आदेश पारित कर सकता है।

स्पष्टीकरण: किसी भी अदालत में कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर के संबंध में परीक्षण, पुनरीक्षण, अपील या किसी अन्य आपराधिक कार्यवाही सहित सभी लंबित मामलों में, ऐसे किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (एल) के अनुसार किया जाएगा। भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर या उससे पहले समाप्त हो जाए और इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए और सभी भौतिक समय पर लागू थे जब कथित अपराध हुआ था प्रतिबद्धता थी।"

11. अधिनियम की धारा 68 के अनुसार राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्तियाँ दी गई हैं। 2000 के अधिनियम की धारा 68 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 नामक नियम बनाए गए हैं। नियम 12 उस प्रक्रिया

से संबंधित है जिसका पालन कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु निर्धारित करने में किया जाना है। नियम 97 लंबित मामलों से संबंधित है और नियम 98 कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों के निपटान के संबंध में प्रासंगिक है। नियम 12, 97 और 98 इस प्रकार पढ़ें:-

"नियम 12. आयु के निर्धारण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया। - (1) कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, नियम 19 में निर्दिष्ट समिति ये नियम उस उद्देश्य के लिए आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे किशोर या बच्चे या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु निर्धारित करेंगे।

2. जैसा भी मामला हो, अदालत या बोर्ड या समिति किशोर या बच्चे की किशोरता या अन्यथा कानून के उल्लंघन में किशोर होने का निर्णय *प्रथम दृष्टया* शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों, यदि उपलब्ध हो, के आधार पर करेगी और उसे संप्रेक्षण गृह या जेल भेज दें।

3. कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, उम्र निर्धारण की जांच अदालत या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य मांगकर की जाएगी-

(ए) (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में; (ii) उस स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्मतिथि प्रमाण पत्र जिसमें पहली बार भाग लिया था; और उसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र; (बी) और केवल उपरोक्त खंड (ए) में से किसी एक (i), (ii) या (iii) की अनुपस्थिति में, एक विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जाएगी, जो किशोर की उम्र की घोषणा करेगा या बच्चा। यदि उम्र का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, यदि आवश्यक समझे जाए, तो बच्चे या किशोर को लाभ दे सकती है। एक वर्ष के अंतर के भीतर उसकी उम्र को कम मानते हुए। और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, उपलब्ध साक्ष्य, या जैसा भी मामला हो, चिकित्सा राय पर विचार करने के बाद, उसकी उम्र और किसी भी में निर्दिष्ट साक्ष्य के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज किया जाएगा। खंड (ए) (i), (ii), (iii) या उसके अभाव में, खंड (बी) ऐसे बच्चे या कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

4. यदि किसी किशोर या बच्चे या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की उम्र अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी निर्णायक सबूत के आधार पर, अदालत या जैसा भी मामला हो, बोर्ड या समिति अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए उम्र बताते हुए और किशोर की स्थिति या अन्यथा घोषित करते हुए लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगी और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या किशोर से संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

5. सिवाय इसके कि जहां आगे की जांच या अन्यथा की आवश्यकता है, *अन्य बातों के अलावा, अधिनियम की धारा* 7ए , धारा 64 और इन नियमों के संदर्भ में, प्रमाण पत्र या किसी की

जांच और प्राप्त करने के बाद अदालत या बोर्ड द्वारा कोई आगे की जांच नहीं की जाएगी। इस नियम के उप-नियम (3) में उल्लिखित अन्य दस्तावेजी प्रमाण।

6. इस नियम में निहित प्रावधान उन निपटाए गए मामलों पर भी लागू होंगे, जहां किशोरता की स्थिति उप-नियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है, जिसके लिए अधिनियम के तहत सजा की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के हित में उचित आदेश।

नियम 97:- लंबित मामले :- (1) कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी किशोर या बच्चे को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

(2) सभी लंबित मामले, जिन पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।

(3) कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी किशोर या बच्चे को इस नियम के उप-नियम (1) के तहत लाभ दिया जाएगा, और इसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे लाभ उन सभी आरोपियों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो उस समय किशोर या बच्चे थे। किसी अपराध को अंजाम देने के लिए, भले ही किसी जांच या मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वे किशोर या बच्चे न रह जाएं।

(4) कानून के साथ संघर्ष में किसी किशोर या किसी बच्चे की हिरासत या रहने या सजा की अवधि की गणना करते समय, ऐसी सभी अवधि जो किशोर या बच्चा पहले ही हिरासत, हिरासत, रहने या कारावास की सजा में बिता चुका है, को एक भाग के रूप में गिना जाएगा।

अदालत या बोर्ड के अंतिम आदेश में निहित रोक या हिरासत या कारावास की सजा की अवधि।

नियम 98:- कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों का निपटारा :- राज्य सरकार या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, स्वत: संज्ञान लेकर या इस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर, किसी व्यक्ति या किशोर के मामले की समीक्षा कर सकता है। कानून के साथ संघर्ष, अधिनियम में निहित प्रावधानों और इन नियमों के नियम 12 के संदर्भ में उसकी किशोरता का निर्धारण करें और अधिनियम की धारा 64 के तहत कानून के साथ संघर्ष में किशोर की तत्काल रिहाई के लिए उसके हित में उचित आदेश पारित करें। कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर जिसकी हिरासत या कारावास की अवधि उक्त अधिनियम की धारा 15 में प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक हो गई है। "

12.हरि राम केस (सुप्रा) के फैसले में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। फैसले का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"37. प्रताप सिंह के मामले (सुप्रा) में तय किए गए दो मुख्य प्रश्नों में से एक बिंदु अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की किशोरता की गणना घटना की तारीख से की जानी चाहिए, न कि उस तारीख से जिस दिन मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया था। निर्णय के दूसरे भाग का प्रभाव, हालांकि, 2006 के अधिनियम 33 द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में संशोधन के आधार पर निष्प्रभावी कर दिया गया था, जिसके तहत अधिनियम के प्रावधानों को भी लागू किया गया था उन किशोरों के लिए जिन्होंने अपराध करने की तिथि पर अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी। कानून अब धारा

2 (के), 2 (एल), 7 ए , 20 और 49 को नियम 12 और 98 के साथ पढ़ने पर स्पष्ट हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1 अप्रैल, 2001 से पहले भी अपराध करने की तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को किशोर माना जाएगा, भले ही उनके किशोर होने का दावा उनके होने के बाद किया गया हो। अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी और दोषी पाए जाने पर सजा काट रहे थे।

38. वर्तमान मामला किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 2 (के), 2 (एल), 7 ए और 20 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत आता है। हालाँकि, अपीलकर्ता को 16 वर्ष की आयु पूरी करते हुए पाया गया। कथित घटना की तारीख पर वर्ष और 13 दिन, उच्च न्यायालय का विचार था कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के प्रावधान अपीलकर्ता के मामले पर लागू नहीं होंगे। बेशक, मामले का निर्णय करते समय, उच्च न्यायालय को अधिनियम में संशोधन या किशोर न्याय नियम, 2007 की शुरूआत का कोई लाभ नहीं मिला। अन्यथा भी, मामला इस न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किया गया था। राजिंदर चंद्रा के मामले (सुप्रा) का मामला, जिसमें इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि जब किशोर होने का दावा किया जाता है और उपलब्ध साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो न्यायालय को अपराधी को किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए सीमा रेखा के मामलों में। किसी भी घटना में, वैधानिक प्रावधानों को तब से बदल दिया गया है और अब हमें अपीलकर्ता के दावे के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है कि उसकी जन्म तिथि कार्तिक सुदि 1, संवत वर्ष 2039 थी, हालांकि निर्धारण के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया गया है। संशोधित प्रावधानों के आलोक में उक्त तिथि को ही। अक्सर, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के माता-पिता

को बच्चे की वास्तविक जन्म तिथि के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन वे इसे किसी घटना से जोड़कर देखते हैं जो शायद उसी समय घटित हुई हो। ऐसी स्थिति में, बोर्ड और न्यायालयों को नियम 12 में निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेना होगा, लेकिन वर्तमान मामले में अपीलकर्ता की उम्र के निर्धारण के अनुसार भी ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता की उम्र अठारह वर्ष से कम थी जब अपराध घटित होने का आरोप लगाया गया था।"

13.बनाम ***महाराष्ट्र राज्य, 2009(5) आरसीआर (आपराधिक) 101: 2008 सीआर. एलजे 2115 में;*** बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने माना कि किशोर होने का दावा एक किशोर द्वारा किया जा सकता है जो कि कम उम्र का है। अधिनियम की धारा 7ए के प्रावधानों के अनुसार मामले के निपटारे के बाद भी अपराध के दिन 18 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। धारा 64 के प्रावधानों के मद्देनजर, किशोर जो पहले से ही 3 साल से अधिक कारावास की सजा काट चुका था, उसे रिहा करने का आदेश दिया गया क्योंकि वह पहले ही 3 साल से अधिक कारावास की सजा काट चुका है। याचिकाकर्ता को बोर्ड के समक्ष पेश करने का निर्देश जारी करने के बजाय, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी द्वारा जमानत के लिए आवेदन प्राप्त होने पर दोषी/ याचिकाकर्ता को रिहा करने का आदेश दिया था।

14.***2008 की डब्ल्यूपी संख्या 2137, विजय नारायण पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, ने 18 अगस्त 2009 को*** अधिनियम की धारा 7ए (1) और धारा 15 (जी) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सजा का प्रावधान करते हुए निर्णय लिया। एक किशोर के मामले में 3 साल की सजा, जिसे आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया और हरि राम के

मामले (सुप्रा) में टिप्पणियों के बाद येरवडा, पुणे में केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने का निर्देश दिया गया। उक्त मामले में वह तीन वर्ष से अधिक की सजा काट चुका था इसलिए वह स्वतंत्र था।

15. ऐसा ही सवाल ***सीआरएल में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी उठा था. 2003 की अपील संख्या 169, रविंदर कुमार @ रवि बनाम राज्य,*** एक किशोर के मामले में एक डिवीजन बेंच के समक्ष, जिसे किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एक हत्या के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई थी। और उसके तहत बनाए गए नियम 2007 और सुधारात्मक और सुधारात्मक दृष्टिकोण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, किशोर की सजा को बरकरार रखते हुए, 3 साल से अधिक कारावास की सजा को इस तथ्य के बावजूद रद्द कर दिया गया कि वह पहले ही 5 साल और 9 महीने की सजा काट चुका था। फैसले का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"25. उपरोक्त संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के लागू होने के साथ कानूनी स्थिति है, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि दोनों में अपीलकर्ता उसके लाभकारी प्रावधानों का लाभ उठाने के हकदार हैं। दोनों ही अपीलों में, अधिनियम के 2 धारा के खंड 1 के अनुसार अपराध करने की तिथि पर 15 से 16 वर्ष की आयु होने के कारण, वह उसके लाभकारी प्रावधानों का लाभ उठाने का हकदार है। तदनुसार, विद्वान ट्रायल जज द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए, हम मानते हैं कि अपीलकर्ताओं को आजीवन कारावास या किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। आमतौर पर, हम अपीलकर्ताओं को जेल भेजने का निर्देश देते

विशेष घर या उपयुक्त संस्थान में। लेकिन हमने पाया कि अपीलकर्ता अमित के नाममात्र रोल के अनुसार, वह पहले ही 5 साल और 9 महीने से अधिक की वास्तविक सजा काट चुका है, जबकि अपीलकर्ता रविंदर के नाममात्र रोल के अनुसार, वह अपने ऊपर लगाई गई वास्तविक सज़ा के 9 साल और 4 महीने भुगत चुका है और इसलिए, हम उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजना उचित नहीं समझते हैं। मोरेसो, धारा 15 की उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार, किसी किशोर को विशेष गृह में हिरासत में रखने की अवधि, किसी भी मामले में, अधिनियम की धारा 15 (जी) के तहत प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी , जो कि एक है तीन वर्ष की अवधि।

26. हम माननीय सर्वोच्च के निर्णयों से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राजी हुए हैं जयेंद्र बनाम यूपी राज्य में न्यायालय , (1981)4 एससीसी 149, भूप राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1989(1) आरसीआर ***(आपराधिक) 573 : (1989)3 एससीसी 1, प्रदीप कुमार बनाम यूपी राज्य, 1995 (सप्ल.) 4 एससीसी 419*** और ***भोला भगत बनाम बिहार राज्य, 1998(1) आरसीआर (आपराधिक) 21: (1997)8 एससीसी 720.*** उपरोक्त सभी मामलों में, सर्वोच्च कोर्ट ने माना है कि ऐसे मामलों में अपनाए जाने वाला रास्ता अपीलकर्ता को दी गई सजा को रद्द करना है। तदनुसार, अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों पर उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, हम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें दी गई सजा को रद्द कर देते हैं क्योंकि हमने पहले ही पाया है कि उन्होंने सामान्य जेल में तीन साल से अधिक की अवधि पूरी कर ली है।"

16. ***गौरव प्रदीप वर्मा बनाम गुजरात राज्य, 2008*** कि आरेल.अलजे ***4009*** में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था। दोषसिद्धि को बरकरार रखा

गया था और मामले को फिर से किशोर न्यायालय में भेजने के बजाय, 3 साल से अधिक कारावास की सजा को रद्द कर दिया गया था।

17. ***मोहन माली और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2010(2) आरसीआर (आपराधिक) 838: 2010(3) राज 176: (2010-3) 159 पीएलआर 304, (एआईआर 2010 सुप्रीम कोर्ट) मामले में शीर्ष अदालत के हालिया फैसले*** में ***1790)*** जब एक किशोर पर वयस्कों के साथ मुकदमा चलाया गया था और उसे धारा 302/34 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से वह पहले ही लगभग 9 साल की सजा काट चुका था, शीर्ष अदालत ने प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 7 ए और 64 और नियमों के नियम 98 में निर्देश दिया गया कि किशोर की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए उसे तुरंत रिहा किया जाए।

18. 64 के रूप में बाद के कानून के आधार पर उसे प्राप्त वैधानिक अधिकार का लाभ पाने का हकदार है। अधिनियम के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले में, जो कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर है, कारावास की सजा काट रहा है, याचिकाकर्ता के किशोर होने के हित में उचित लाभकारी आदेश की आवश्यकता है।

19. लेकिन फैसले से अलग होने से पहले यहां यह देखना उचित है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में किशोर की आयु 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष करना किशोर अपराध को रोकने के लिए एक उपकरण साबित नहीं हुआ है। वर्ष 2005 में नाबालिगों द्वारा किया गया अपराध देश में कुल अपराध का 1.7% था। "राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो" की "2007 में अपराध" रिपोर्ट के अनुसार 2006 और 2007 में यह बढ़कर क्रमशः 1.9% और 2% हो गया। उक्त रिपोर्ट के अनुसार 2007

में पकड़े गए किशोरों की सबसे अधिक संख्या 18015 थी, जो 16 से 18 वर्ष की आयु के थे, जो 2006 की तुलना में 16.3% अधिक थी। एक युवा अपराधी के भाग्य का निर्णय करने में कई कारकों जैसे सार्वजनिक सुरक्षा को शामिल करना शामिल है। निष्पक्ष एवं उचित दंड तथा उत्पादक एवं नैतिक नागरिकों के विकास को बढ़ावा देना। हम इन लक्ष्यों को अपने विचारों के चश्मे से देखते हैं और अक्सर यह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते कि बड़ा हो रहा किशोर क्या होता है। युवा अपराधियों के लिए "वयस्क अपराध के लिए वयस्क समय" की अवधारणा का पालन किया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में बचपन की सीमा को कम समय में स्थानांतरित करने की पहल की गई है, यह महसूस करते हुए कि आज के युवा अपराधी अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बड़े पैमाने पर, आग्नेयास्त्रों की तैयार उपलब्धता के साथ। ***(रोपर बनाम सिमंस 543 यूएस 541 (2005)।*** न्यायिक सुधारों के उद्देश्य से किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के परिणामों की जांच करने वाले कानून द्वारा "युवा अपराधियों" के लिए "वयस्क सजा" के विश्लेषण का विस्तार अभी तक नहीं किया गया है। मैं मेरी सुविचारित राय है कि किशोर न्याय नीति को आगे बढ़ाने के लिए किशोर अपराधियों के लिए उचित सजा के सावधानीपूर्वक विश्लेषण की भी आवश्यकता होगी। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों को सुधारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। उन युवाओं के लिए उचित अवसर जिन्होंने परिपक्वता की आयु प्राप्त नहीं की है। यह अधिनियम उन सभी किशोरों पर लागू किया गया था जो अपराध के समय 18 वर्ष से कम थे। अधिनियम के प्रावधान किशोरों पर भी लागू किए गए थे जिसने अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले और अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद अपराध किया हो। क़ानून की उपयोगिता का परीक्षण समाज, न्यायालयों और कानून द्वारा किया

जाना है। आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण पहलू मानसिक वृद्धि है प्रौद्योगिकी और विज्ञान की प्रगति के साथ आधुनिक किशोर व्यक्तियों की परिपक्वता और बुद्धिमान भागफल। समझने, तर्क करने और सराहना की उम्र कम हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कारकों को नजरअंदाज कर दिया गया है। 16 वर्ष की आयु में एक किशोर इतना परिपक्व हो जाता है कि वह अपराध को अंजाम देने वाले विभिन्न कारकों को समझ सके। तुलनात्मक रूप से कम उम्र में मानसिक परिपक्वता में वृद्धि के साथ, किशोरों द्वारा अपराध में वृद्धि के तथ्यों और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के प्रावधानों का विधायकों द्वारा पुनर्मूल्यांकन और पुन: परीक्षण किया जाना चाहिए। अधिनियम का दुरुपयोग भी समाज में एक प्रसिद्ध घटना है। ऐसा लगता है कि अपराध के क्षेत्र में सज़ा का निवारक प्रभाव कम हो गया है जिसके परिणामस्वरूप अपराध की दर में वृद्धि हुई है।

20. संयुक्त राज्य अमेरिका में अपराधों के आरोपी युवाओं की "विकासात्मक क्षमताओं" का अध्ययन करने, उनके परीक्षणों में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए व्यापक अध्ययन किए गए हैं। एक सक्षम एजेंसी या न्यायालय द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में एक युवा की न्यायिक क्षमता यानी मुकदमा चलाने की क्षमता (सीएसटी) पर गौर किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी किशोर अपराधी पर मुकदमा किशोर न्यायालय द्वारा चलाया जाना है या सामान्य आपराधिक न्यायालय द्वारा। सजा का आकलन किशोर की न्यायिक क्षमता के आधार पर भी किया जाना आवश्यक है। एक प्रवृत्ति जिसका हाल ही में पालन किया गया है वह यह है कि वर्तमान सुधार किशोर हिंसक अपराधियों के लिए निर्धारित दंड की गंभीरता को उन वयस्कों की तरह अधिक बनाने का प्रयास करते हैं जो अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाते

हैं। (विचार "परीक्षण में खड़े होने के लिए किशोरों की क्षमता: परीक्षण प्रतिवादी के रूप में किशोरों और वयस्कों की क्षमताओं की तुलना: स्रोत कानून और मानव व्यवहार, खंड 27, संख्या 4 (अगस्त 2003 पृष्ठ 333-363) और थॉमस ग्रिसो के लेख से लिया गया है। किशोर हिंसा के प्रति समाज की प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रियाएँ: एक विकासात्मक परिप्रेक्ष्य)।

21. ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में कानूनी विद्वानों द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

22. मुकदमे और सजा के उद्देश्य से 18 वर्ष की आयु तक के सभी किशोरों का किशोर के रूप में वर्गीकरण और सभी किशोरों के साथ एक समान व्यवहार करने के वैधानिक आदेश के तहत राज्य या न्यायालयों की किसी भी एजेंसी के पास किसी भी प्रकार के विवेक का अभाव, चाहे उनकी प्रकृति कुछ भी हो। अपराध और "व्यक्तिगत न्यायिक क्षमता" अनुचित प्रतीत होती है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सीएसटी के बावजूद, अधिनियम के तहत परीक्षण और सजा के उद्देश्य से असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को वैश्विक आयाम देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों को शामिल करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और कानून निर्माताओं द्वारा हमारे समाज में प्रचलित विभिन्न कारकों का गहन अध्ययन आवश्यक है।

23. यह सुझाव दिया गया है कि अधिनियम में 'न्यायिक छूट' का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसमें किशोर न्यायालय, उपयुक्त मंच या उच्च न्यायालय को परिस्थितियों की व्यक्तिगत समीक्षा (न्यायिक क्षमता) के आधार पर निर्णय लेने के लिए अपने विवेकाधीन अधिकार का उपयोग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोर पर

हत्या, बलात्कार, डकैती और नशीली दवाओं के गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया और उसे मुकदमे और सजा के लिए सामान्य आपराधिक न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजा गया।

24. याचिका की योग्यता पर वापस आते हुए, चूंकि याचिकाकर्ता अपराध के समय किशोर था, वह ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, अधिनियम की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता के कारण, जेल से रिहा होने का हकदार है।

25. यह आदेश दिया गया है कि रिहाई के मामलों पर परामर्श के लिए गठित एक समिति इस मामले को उठाएगी और इस आदेश की प्राप्ति के दो महीने की अवधि के भीतर, अपराध की तारीख पर किशोर के रूप में उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की रिहाई के संबंध में एक स्पष्ट आदेश पारित करेगी।

निपटारा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रीतिका शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा